

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 43 / 2014

दायर दिनांक 28.03.2014

भुरी	उनवान	शंकर
	बनाम	

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 08.04.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | मूल वाद स्वीकार हो जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही | प्रार्थना पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है | आदेश सुनाया गया |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन